

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — डप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. '237] No. 237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2004/ज्येष्ठ 7, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2004/JYAISTHA 7, 1926

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 2004

भारत गणराज्य और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 346(अ).— जबिक भारत गणराज्य और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संघि पर बर्लिन, जर्मन संघीय गणराज्य में 27 जून, 2001 को हस्ताक्षर हुए थे; और अनुसमर्थन के दस्तावेजो का आदान-प्रदान 28 अप्रैल, 2004 को दिल्ली में हुआ था तथा संघि में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

अपराध का दमन करने में और विनिर्दिष्टतः प्रत्यर्पण को सुकर बनाने के लिए दोनों राज्यों के बीच और प्रभावी सहयोग के लिए उपबंध करने की इच्छा से, निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - एक प्रत्यर्पण के दायित्व

(1) संविदाकारी राज्य इस संधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य के प्रदेश में पाया जाता है जिसे अनुरोधकर्त्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए मांगा गया है या सिद्धदोष पाया गया है, एक-दूसरे राज्य को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत हैं।

- (2) जब अपराध अनुरोधकर्त्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर किया गया है तब अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य इस संधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्पण प्रदान करेगा, बशर्ते -
- (क इसके कानूनों में समान परिस्थितियों में किए गए ऐसे अपराध के लिए भी दण्ड के लिए व्यवस्था हो ।
- (ख) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है वह अनुरोधकर्त्ता राज्य का राष्ट्रिक हो ।

अनुच्छेद - दो प्रत्यर्पणीय अपराध

- (1) इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पणीय अपराध वे अपराध हैं जो दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। इस संबंध में इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि संविदाकारी राज्यों के कानून उस अपराध को उसी वर्ग के अपराधों में रखते हैं कि नहीं अथवा उस अपराध को उसी शब्दावली में निर्धारित करते हैं अथवा नहीं '
- (2) करों, वित्तीय प्रभारों और सीमा शुल्कों के सम्बन्ध मे अपराधों के लिए, प्रत्यर्पण इस संधि के प्रावधानों के अनुसार तभी प्रदान किया जाएगा यदि उक्त अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत समान स्वरूप के अपराध के सदृश है।
- (3) ऐसे अपराधों के संबंध में प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत किसी न्यूनतम अविध की सजा अथवा कम से कम एक वर्ष की स्वतंत्रता के किसी अन्य रूप में हनन के लिए दण्डनीय है। यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध सजा की अविध को लागू करने अथवा किसी रूप में स्वतंत्रता के हनन के उद्देश्य से है तो कैद की सजा की शेष अविध अथवा स्वतंत्रता के हनन की अविध, जिसे प्रवृत्त किया जाना है, कुल मिलाकर छह महीने होनी चाहिए।

- (4) पैरा (1) में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन प्रत्यर्पणीय अपराध करने का प्रयास करने अथवा अपराध का षड्यंत्र रचने, अथवा उसमें सहायता करने, उकसाने, अपराध करने के लिए प्रेरित करने अथवा सह-अपराधी के रूप में भागीदार होने के संबंध में भी प्रत्यर्पण मंजूर किया जाएगा।
- (5) जहां किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण मंजूर किया जाता है वहां यह ऐसे किसी अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में भी मंजूर किया जाएगा जो यदि अकेले किया जाता हो जो पैरा (3) की शर्तों के अनुसार प्रत्यर्पणीय नहीं होता ।

अनुच्छेद - तीन राजनैतिक अपराध

- (1) यदि वह अपराध जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा एक राजनैतिक अपराध, राजनैतिक स्वरूप का अपराध अथवा किसी ऐसे अपराध से संबद्ध माना गया है, तो प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा।
- (2) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के पास यह विश्वास करने के लिए ठोस आधार हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनैतिक धारणा की वजह से उस पर मुकदमा चलाने अथवा सजा देने के प्रयोजन से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है अथवा इनमें से किसी भी कारण से वांछित व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा।
- (3) इस संघि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराघ पैरा (1) के अभिप्राय के भीतर आने वाले अपराघ नहीं समझे जाएंगे :
 - क) विमान के अवैध कब्जे को रोकने से सम्बद्ध 1970 के हेग अभिसमय की परिधि में आने वाला अपराध ;

- ख) नागर विमानन की सुरक्षा के लिए अवैध कृत्यों को रोकने से संबंद्ध 1971 के मांद्रियल अभिसयम की परिधि के भीतर आने वाला अपराध ;
- ग) राजनियक ऐजेंटों सिहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की रोकथाम करने तथा दण्ड देने से सम्बद्ध 1973 के न्यूयार्क अभिसमय की परिधि के भीतर आने वाला अपराध ;
- बंधक बनाए जाने के विरुद्ध 1979 के न्यूयार्क अभिसमय की परिधि के भीतर आने वाला कोई अपराध ;
- ड.) ऐसा अन्य अपराध जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्य किसी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय करार के अन्तर्गत अपेक्षित व्यक्ति को प्रत्यर्पित किए जाने के लिए अथवा उसके मामले को अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों को मुकदमा चलाने के बारे में निर्णय लेने के लिए सौंपने के लिए बाध्य हों।
- च) हत्या, मानववध अथवा निन्दनीय मानव हत्या, दुर्भावनापूर्वक घायल करना अथवा गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाना ;
- छ) व्यपहरण, अपहरण अथवा अवैध रूप से हिरासत में रखने का किसी प्रकार का समतुत्य कृत्य जिसमें बंधक बनाना भी शामिल है;
- ज) ऐसे विस्फोटक पदार्थ, विस्फोट-प्रेरक यंत्र, विनाशकारी यंत्र, आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद रखना अथवा उनका प्रयोग करना जो जीवन को खतरे में डालने वाले हों, अथवा गंभीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले हों, अथवा सम्पति को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हों ;
- **इा)** आतंकवाद से संबंधित अन्य कोई अपराध जिसे अनुरोध प्राप्त होने के समय अनुरोध-प्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत राजनैतिक स्वरूप का अपराध न माना गया हो ;
- अथवा उसमें सहायता करना, उकसाना, प्रेरित करना अथवा भागीदार बनना ।

अनुच्छेद - चार सैन्य अपराध

यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, एक ऐसा सैन्य अपराध है जो साधारण आपराधिक कानून के अन्तर्गत एक अपराध नहीं है, प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - पांच वैवेकिक इन्कार के आधार

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें अपराध की तुच्छ प्रकृति भी शामिल है अथवा न्याय के हित में उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण अथवा असमीचीन होगा तो प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकेगा।

अनुच्छेद - छह अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

- (1) दोनों में कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है।
- (2) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपेक्षित व्यक्ति के संबंध में नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई को स्थिगित करने के उद्देश्य से उन सभी विधिक अनुज्ञेय उपाय करता रहेगा जब तक उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है और जहां प्रत्यर्पण का अनुरोध मंजूर कर लिया जाता है, उस मामले में उसके अभ्यर्पण तक।
- (3) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित नहीं करता है तो वह अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर अपने सक्षम प्राधिकारियों को इस मामले को भेजेगा ताकि यदि उपयुक्त समझा जाए तो आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके । यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अतिरिक्त फाइलों, कागजातों और सम्पति के लिए अनुरोध करता है तो ये निःशुल्क मुहैया कराए जाएंगे । अनुरोधकर्त्ता राज्य को उसके अनुरोध पर की गई कार्रवाई की सूचना दी जाएंगी ।

अनुच्छेद - सात समय बीत जाना

यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन अथवा केंद्र की सजा को लागू किया जाना अथवा स्वतंत्रता हनन का अन्य कोई स्वरूप कानून-वर्जित हो गया है तो प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - आठ दोहरे खतरे से बचाव

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने उस दांडिक अपराध के संबंध में पूर्व में पूर्ण तथा बाध्यकारी प्रभाव से उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया और उसे दोषमुक्त करार दे दिया अथवा सिद्धदोष ठहराया है जिसकी अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण की मांग की गयी है, अथवा यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपने कानूनों के अनुसरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को अनिवार्य तौर पर स्थिगत कर दिया गया है तो प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - नौ अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का क्षेत्राधिकार

यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उसी अपराध के लिए कार्यवाही चल रही है जिस अपराध के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है तो प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकेगा।

अनुच्छेद - दस शिकायत और प्राधिकरण

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत अभियोजन के लिए अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से कोई शिकायत अथवा प्राधिकार की आवश्यकता होती है तो भी ऐसे शिकायत और प्राधिकार के अभाव से प्रत्यर्पण की बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - ग्यारह मृत्युदण्ड

जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसके लिए यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत मृत्युदण्ड दिया जाता है और इसी अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून ऐसे दण्ड की अनुमित नहीं देता है तो प्रत्यर्पण से तब तक इन्कार किया जा सकेगा जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को पर्याप्त आश्वासन न दे दे कि मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाएगा और यदि दिया जाता है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा।

अनुस्केद - बारह संचार के साधन : प्रत्यर्पण दस्तावेज

- (1) वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा और राजनियक माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी ।
- (2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित होंगे :
- (क) वांछित व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारी ; और
- (ख) लागू सांविधिक प्रावधानों, यदि कोई हों, जिनके अंतर्गत यह अपराध है, की एक प्रति अथवा लागू कानून से संबंधित विवरण और किसी भी मामले में उस दण्ड का विवरण जो दिया जा सकता है।
- (3) अभियोजन के लिए वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ पैरा (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त, वांछित व्यक्ति के संबंध में जारी किये गये गिरफ्तारी वांस्ट की मूल

अथवा एक प्रामाणिक प्रति, ऐसे प्रत्येक अपराध का वर्णन जिसके लिए उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गयी है, और यदि अन्य दस्तावेजों में ऐसी सूचना नहीं दी गयी है तो प्रत्येक ऐसे अपराध की बाबत वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथित कृत्यों और अपराधों का विवरण संलग्न होगा।

- (4) वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण अनुरोध, जो सजा को लागू करने के प्रयोजन से किया गया है, के साथ पैरा 2 में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के साथ प्रवर्तनीय निर्णय की मूल अथवा प्रामाणिक प्रति, मामले के तथ्यों का सारांश, जिन मामलों में, अन्य दस्तावेजों में ऐसी सूचना निहित नहीं है, तो उन मामलों में वे दस्तावेज लगाए जाएंगे जो अन्तिम और बाध्यकारी दोष-सिद्धि को प्रमाणित करते हों और एक ऐसा विवरण कि सजा तत्काल प्रवृत्त की जानी है और वह सीमा जहां तक सजा को प्रवृत्त नहीं किया गया है।
- (5) पैरा (2) से (4) में उल्लिखित संलग्न दस्तावेजों पर किसी न्यायाधीश अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और सक्षम मंत्रालय की आधिकारिक मोहर द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा।
- (6) यदि अनुरोधकर्ता राज्य में वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, और यदि वांछित व्यक्ति किसी न्यायाधीश अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दिये जाने के पश्चात किसी न्यायाधीश अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष औपचारिक प्रत्यर्पण कार्रवाई के लिए अपनी सहमति देता/देती है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य औपचारिक प्रत्यर्पण कार्रवाई किये बिना ही उसके प्रत्यर्पण की अनुमति.दे सकता है।

अनुच्छेद - तेरह अतिरिक्त दस्तावेज

- (1) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का यह मानना है कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज इस संधि की अनिवार्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो वह राज्य अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकता है; वह एक समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और कारणों के उल्लेख सहित अनुरोधकर्ता राज्य के आवेदन पर इस समय-सीमा में यथोचित वृद्धि कर सकता है।
- (2) यदि वांछित व्यक्ति कैद में है और उपर्युक्त अनुसार प्रस्तुत जानकारी अपर्याप्त है, अथवा यह जानकारी अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो वांछित व्यक्ति को कैद से रिहा कर दिया जाएगा । तथापि, रिहाई के बाद भी उसी अपराध के लिए पुनः प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है । इस संबंध में बाद के अनुरोध में पहले ही प्रस्तुत किये गये समर्थन दस्तावेजों का उल्लेख पर्याप्त होगा बशर्ते कि ये दस्तावेज बाद के अनुरोध के आधार पर की गयी प्रत्यर्पण कार्रवाइयों के लिए उपलब्ध हों ।

अनुच्छेद - चौदह प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा में अनन्तिम कैंद

- (1) तात्कालिक मामलों में कोई भी संविदाकारी राज्य वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन कर सकता है जब तक कि राजनियक माध्यम से प्रत्यर्पण का अनुरोध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए । अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध राजनियक माध्यम से अथवा सीधे जर्मन संघीय गणराज्य के संघीय न्याय मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच अथवा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के जर्मन और भारतीय राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के बीच किया जाएगा ।
- (2) अनन्तिम गिरफ्तारी के अनुरोध में, जैसा कि अनुच्छेद -बारह में कहा गया है, इस बात का उल्लेख होगा कि गिरफ्तारी का वांस्ट जारी किया गया है और निर्णय दिया गया है और इसके आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध करने की मंशा है। इसमें उस अपराध का भी उल्लेख होगा जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा और यह अपराध कब और कहाँ किया गया और साथ ही इसमें वांछित व्यक्ति के विवरण और राष्ट्रीयता से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारी दी जाएगी।
- (3) अनित्तम गिरफ्तारी का अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा । अनुरोधकर्त्ता राज्य को बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा कि किस सीमा तक इस अनुरोध का अनुपालन किया जा सकता है।
- (4) यदि वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के 60 दिन की अवधि के भीतर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण अनुरोध और अनुच्छेद-बारह में उल्लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हो जाते हैं तो अनन्तिम गिरफ्तारी रद्द कर दी जाएगी।
- (5) यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध और अनुच्छेद-बारह में उल्लिखित समर्थक दस्तावेज जिन्हें समय पर पेश नहीं किया गया था, बाद में प्राप्त होते हैं तो पैरा (4) के अनुसरण में अनन्तिम गिरफ्तारी के रद्द किये जाने से वांछित व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पित करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस संबंध में प्रत्यर्पण अनुरोध और उन दस्तावेजों का हवाला दिया जा सकता है जिन्हें पहले ही अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को भेज दिया गया है ।

अनुच्छेद - पन्द्रह अनेक राज्यों द्वारा किये गये प्रत्यर्पण अनुरोध

(1) कोई संविदाकारी राज्य जिसे किसी एक ही अपराध के लिए अथवा विभिन्न अपराधों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य से तथा तीसरे राज्य से उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के समवर्ती अनुरोध प्राप्त होते हैं, अपराध की सापेक्षिक गम्भीरता, और उसके घटित होने के स्थान, वांछित व्यक्ति की राष्ट्रिकता तथा अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य और अनुरोधकर्त्ता राज्य के बीच सम्पन्न करारों के प्रावधानों तथा विशेष तौर पर अनुरोधकर्त्ता राज्य से अन्य अनुरोधकर्त्ता राज्य को

पुनः प्रत्यर्पण की संभाव्यता सहित सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय लेगा ।

(2) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी व्यक्ति को किसी एक अनुरोधकर्ता राज्य को प्रत्यर्पित करने का तथा अन्य अनुरोधकर्ता राज्य को पुनः प्रत्यर्पित करने का निर्णय एक ही समय पर लेता है तो पुनः प्रत्यर्पण करने के अपने निर्णय के बारे में प्रत्येक अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा।

अनुच्छेद - सोलह निर्णय

- (1) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपने निर्णय के बारे में अनुरोधकर्ता राज्य को शीघ्र ही सूचित करेगा।
- (2) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को जहाँ तक सम्भव होगा प्रत्यर्पण के अनुरोध को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से मना करने के कारण बताने होंगे ।

अनुच्छेद · सत्रह आस्थगित अभ्यर्पण

वांछित व्यक्ति पर उस अपराध से इतर जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, किसी अन्य अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा सजा काट रहा है अथवा उसे सुधारने और उसकी सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के बाद प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के अभ्यर्पण को मुकदमे की कार्यवाही खत्म होने तथा उस को दी गई सजा पूरी होने तक आस्थिगित कर सकता है। ऐसे मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा।

अनुच्छेद - अठारह वांछित व्यक्ति का अभ्यर्पण

(1) यदि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया जाता है तो वांछित व्यक्ति का अभ्यर्पण अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि में किया जाएगा । अगर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य की विधि में अभ्यर्पण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो अनुरोधकर्ता राज्य को यह सूचित किए जाने, कि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया गया है, की तारीख के 30 दिन के भीतर अभ्यर्पण किया जाएगा । अनुरोधकर्त्ता राज्य के अनुरोध पर समय सीमा 20 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है । संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी वांछित व्यक्ति के अभ्यर्पण के समय एवं स्थान पर समझौता करेंगे ।

- (2) अगर फ्रार पैरा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित समयाविध में वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र से नहीं हटाया जाता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा । अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य बाद में उसी अपराध के लिए वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से मना कर सकता है ।
- (3) यदि अपवादात्मक परिस्थितियों में संविदाकारी राज्य वांछित व्यक्ति को निर्धारित समय में अभ्यपित करने अथवा प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह दूसरे पक्षकार को तदनुसार समय-सीमा समाप्त होने से पूर्व सूचित करेगा । ऐसे मामले में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अभ्यपंण के लिए नई तारीख के बारे में सहमित कर सकते हैं ।
- (4) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा कि प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति को कितने समय के लिए रोका गया है और उसे छोड़े जाने की तारीख क्या है !

अनुकोद - उन्नीस विशिष्टता का नियम

- (1) इस अनुच्छेद के पैरा (3) पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति को :
- (क) अनुरोधकर्ता राज्य में उसके प्रत्यर्पण से पूर्व निम्नलिखित से इतर किए गए किसी अन्य अपराध के लिए न तो जेल में बंद किया जाएगा, न ही मुकदमा चलाया जाएगा और न ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाएगा:
 - (i) उस अपराध के संबंध में जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया अथवा अन्य किसी अपराध के लिए जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध के समर्थन में प्रयुक्त सिद्ध किए हुए तथ्यों के आधार पर उसे सिद्ध दोष ठहराया जा सकता हो ; अथवा
 - (ii) अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से उसको जेल में बंद करने अथवा उस पर मुकदमा चलाने अथवा उस पर कोई प्रतिबंध लगाने अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने के लिए सहमति ली गई हो; अथवा
- (ख) अनुरोधकर्ता राज्य में किसी तीसरे पक्ष को उसके प्रत्यर्पण के प्रयोजनार्थ बंदी नहीं बनाया जाएगा अथवा किसी ऐसे राज्य को तब तक पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जब तक इस बारे में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से सहमति न ले ली गई हो ।
- (2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की सहमति लेने से संबद्ध अनुरोध के साथ अनुच्छेद-बारह में विनिर्दिष्ट सभी संगत दस्तावेज और प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा न्यायालय को दिए गए बयानों का रिकार्ड भेजा जाएगा । अनुच्छेद-तेरह पैरा (1) यथा परिवर्तनों के साथ लागू होगा ।

(3) यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र को छोड़ने का अवसर मिलने पर भी 45 दिनों के भीतर अथवा अपनी रिहाई के बाद उस क्षेत्र को छोड़ कर नहीं जाता है अथवा छोड़कर चले जाने के बाद उस क्षेत्र में पुनः लौट आता है तो पैरा (1) लागू नहीं होगा । प्रत्यर्पित व्यक्ति के आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक के आदेश के बिना पैरोल अथवा परिवीक्षा पर की गई रिहाई को अंतिम रिहाई के समकक्ष माना जाएगा ।

अनुच्छेद - बीस आपराधिक कार्ववाही के निष्कर्षों के बारे में सूचना

अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को उसकी मांग पर प्रत्यर्पित व्यक्ति के संबंध में की जा रही आपराधिक कार्यवाही के निष्कर्ष के बारे में बताएगा तथा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को अंतिम निर्णय की प्रतिलिपि भेजेगा।

अनुच्छेद-इक्कीस संपत्ति का अभ्यर्पण

- (1) यदि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अंतर्गत अनुमत सीमा तक की सभी वस्तुओं का अभ्यर्पण किया जाएगा जो साक्षी बन सकती हैं अथवा जिन्हें अपराध के फलस्वरूप अधिग्रहीत किया गया है अथवा जिन्हें ऐसी वस्तुएं मानते हुए प्राप्त किया गया है जो वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय उसके पास थी अथवा बाद में पायी गयी। ऐसी वस्तुओं का अभ्यर्पण किसी विशेष अनुरोध के ना होने पर संभव होगा और यदि संभव हो तो वांछित व्यक्ति को सौंपने के साथ ही।
- (2) वांछित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने अथवा उसके भाग जाने के कारण उसको न सौंपे जाने पर भी पैराग्राफ (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, उसमें निहित वस्तुएं सौंप दी जाएंगी।
- (3) जहां तक उन वस्तुओं पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा तीसरे पक्षकार के अधिकारों के सम्मान का प्रश्न है, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य इन वस्तुओं को सौंपने से मना कर सकता है अथवा अनुरोधकर्ता राज्य से इस आशय का संतोषजनक आश्वासन मिलने पर सशर्त सौंप सकता है कि ये वस्तुएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को यथाशीघ्र लौटा दी जाएंगी।

अनुच्छेद-<mark>बाईस</mark> प्रत्यर्पण के मामले में परस्पर सहायता

प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपनी विधि की अनुमत सीमा में ऐसे अपराध से जिसके संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, संबंधित आपराधिक मामलों में दूसरे राज्य को अधिकतम परस्पर सहायता प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद-तेईस पारगमन

- (1) किसी एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र से होकर तीसरे राज्य से दूसरे संविदाकरी राज्य के क्षेत्र में प्रत्यार्पित किए जाने वाले व्यक्ति को पारगमन का अनुरोध करने पर पारगमन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वह अपराध अनुच्छेद -दो के अंतर्गत प्रत्यर्पणीय अपराधों और यह कि जिस संविदाकारी राज्य से पारगमन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है वह उस अपराध को ऐसा अपराध न मानता हो जो अनुच्छेद तीन अथवा चार के अंतर्गत आता हो ।
- (2) अगर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की राय में ऐसा उसकी विधि के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक का पारगमन करने से इनकार किया जा सकता है।
- (3) पारमगन संबंधी अनुरोध के साथ अनुच्छेद बारह में वर्णित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए ।
- (4) अनुच्छेद ग्यारह आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा ।

अनुच्छेद-चौबीस व्यक्तिगत विवरण

- (1) व्यक्तिगत विवरण को , जिसे इसमें इसके पश्चात विवरण कहा गया है, किसी पहचान कर लिए गये अथवा पहचाने जाने योग्य प्रकृत व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा उसकी वास्तविक स्थिति से संबंधित विवरण माना जाएगा ।
- (2) इस संधि के आधार पर प्रेषित विवरण को केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए विवरण प्रेषित किया गया था तथा किसी व्यक्तिगत मामले में प्रेषक संविदाकारी राज्य द्वारा निर्धारित शतौं पर। इसके अतिरिक्त , इस प्रकार का विवरण निम्निलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है :-
- (क) अपराघों के अभियोजन के लिए;
- (ख) पर्याप्त महत्व के अपराधों की रोकथान के लिए ;
- (ग) उन गैर आपराधिक न्यायिक कार्यवाहियों और प्रशासनिक कार्यावाहियों के लिए जो उस उपयोग से संबद्ध हैं जिनके लिए विवरण हिली सज़ा के अनुसरण में भेजे गये थे अथवा उप-पैरा (क) और (ख) में वर्णित उपयोग से सबंद्ध है;
- (घ) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किसी बड़े खतरे को टालने के लिए।

अन्य प्रयोजनों के लिए संबंधित विवरण के संबंध में प्रेषक संविदाकरी राज्य की पूर्ण सहमति अपेक्षित होगी।

- (3) प्रत्येक संविदकारी राज्य के स्थानीय विधिक प्रावधानों के अध्यधीन विवरण के प्रेषण और उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होगें :
- (क) अनुरोध करने पर, वह संविदाकारी राज्य जिसने विवरण प्राप्त किया है, प्रेषक राज्य को प्राप्त विवरण, विवरण के किए गए उपयोग और उससे प्राप्त परिणामों के बारे में सूचित करेगा।
- (ख) संविदकारी राज्य इस संघि के तहत प्रेषित विवरण की सावधानीपूर्वक देखरेख करेगा और इस प्रकार के विवरण की यथार्थता और पूर्णता का विशेष ध्यान रखेगा। केवल उसी विवरण को प्रेषित किया जाएगा जो अनुरोध से संबंधित है। यदि यह प्रतीत होता है कि गलत विवरण प्रेषित किया गया है अथवा वह विवरण प्रेषित किया गया है, जिसे प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था, तो वह संविदाकारी राज्य जिसने विवरण प्राप्त किया है, अविलम्ब अधिसूचित करेगा। वह संविदाकरी राज्य जिसने विवरण प्राप्त किया है, उस विवरण में परिशोधन करेगा, अथवा किसी अशुद्धि को ठीक करेगा या उस विवरण को मिटा देगा।
- (ग) संविदाकारी राज्य विवरण के प्रेषण और उसकी प्राप्ति से संबद्ध अभिलेखों को एक उपयुक्त प्रारूप में रखेगा।
- (घ) संविदाकारी राज्य प्रेषित विवरण के संबंध में अनाधिकृत पहुंच, अनाधिकृत हेर-फेर और अनाधिकृत प्रकाशन के प्रति प्रभावी संरक्षण प्रदान करेंगे ।
- (इ) अनुरोध करने पर संबंधित व्यक्ति को उससे संबद्ध मौजूदा विवरण के बारे में तथा उस प्रयोजन के बारे में जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना है और जिस प्रयोजन के लिए उसका संचयन किया जाना है, सूचित किया जाएगा। उस मामले में, सूचना देने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, जहां हितों की तुलना करने पर, सूचित किए जा रहे संबंधित व्यक्ति के हित से, सूचना नहीं देना सार्वजनिक हित में अधिक महत्वपूर्ण पाया गया हो। सभी अन्य मामलों में उससे संबद्ध मौजूदा विवरण के बारे में सूचित किए जाने वाले संबंधित व्यक्ति के अधिकार उस संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीय विधि द्वारा शासित होंगे जिसके राज्यक्षेत्र में सूचना का अनुरोध किया गया है।
- (च) यदि इस संधि के तहत विवरण के आदान-प्रदान के संदर्भ में प्रेषणों के परिणरमस्वरूप, किसी व्यक्ति को अवैध क्षिति होती है, तो प्राप्तकर्त्ता राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि के अनुसार उसके प्रति उत्तरदायी होगा। प्राप्तकर्त्ता राज्य पीड़ित व्यक्ति की तुलना में इस तथ्य का प्रतिरक्षा के रूप में सहारा नहीं ले सकता कि क्षिति प्रेषक राज्य द्वारा की गई थी। यदि प्राप्तकर्ता राज्य उस क्षिति की क्षितिपूर्ति करता है जो प्रेषक राज्य से प्राप्त गलत विवरण का उपयोग करने से हुई है तो प्रेषक राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की क्षितिपूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्त्ता राज्य को प्रतिपूर्ति करेगा।

अनुच्छेद-पच्चीस लागू विधि

इस संधि में उन बातों को छोड़कर जहां अन्यथा प्रावधान हैं, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून प्रत्यर्पण की अवधि के दौरान प्रत्यर्पण और पारगमन तक अनन्तिम गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रियाओं पर लागू होगा ।

अनुच्छेद-छब्बीस उपयोग की जाने वाली भाषाएं

इस संधि के लागू होने में पारेषित दस्तावेज अनुरोधकर्ता राज्य की भाषा में होंगे। जर्मन अनुरोधों के साथ अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न किया जाएगा और भारतीय अनुरोधों के साथ जर्मन में अनुवाद संलग्न किया जाएगा।

अनुकोद-सत्ताईस

વ્યય

अनुरोधकर्ता राज्य के वांछित किसी व्यक्ति के परिवहन से संबंधित व्यय उसी राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे। किसी प्रत्यर्पण अथवा किसी पारगमन अनुरोध के कारण होने वाले अन्य व्यय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अनुरोधकर्ता राज्य से नहीं मांगे जाएंगे। उस राज्य के सक्षम विधिक अधिकारी जिसमें प्रत्यर्पण कार्यवाही चलती है, सभी विधिक साधनों के भीतर अपनी शक्ति द्वारा अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम न्यायाधीशों और अधिकारियों की सक्षम सहायता करेंगे।

अनुच्छेद- अट्ठाईस प्रवर्तन क्षेत्र

यह संधि अनुच्छेद -दो में शामिल किए गए उन अपराधों पर लागू होगी जो इस संधि के लागू होने की तारीख से पहले और बाद में किए गए होंगे। तथापि इस संधि के लागू होने से पूर्व किसी ऐसे अपराध के लिए प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जाएगा जो इसके लागू होने के समय दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के अंतर्गत अपराध नहीं थे।

अनुच्छेद-उनतीस पंजीकरण

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में इस संधि के पंजीकरण के लिए इसके प्रभावी होने के तत्काल बाद जर्मन संधीय गणराज्य द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सचिवालय से इसकी पुष्टि होते ही दूसरे संविद्याकारी राज्य को पंजीकरण और संयुक्त राष्ट्र पंजीकरण संख्या के बारे में सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद-तीस अनुसमर्थन, प्रर्वत्तन, प्रत्याख्यान

- (1) यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी, अनुसमर्थन दस्तावेजों का यथाशीघ्र नई दिल्ली में आदान-प्रदान किया जाएगा।
- (2) यह संधि अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान के 30 दिन पश्चात लागू होगी ।
- (3) यह संधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा समाप्ति की दी गई लिखित सूचना की तारीख से एक वर्ष की अविध समाप्त न हो गई हो। अन्य संविदाकारी राज्य द्वारा इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति की तारीख समय सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक होगी।

बर्लिन में आज ईसवी सन दो हजार एक के जून माह के सत्ताईसवें दिन हिन्दी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं के दो-दो पाठों में संपन्न । सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। जर्मन और हिन्दी भाषा के पाठों में निर्वचन में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के खण्ड -12 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एदतद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय-॥ को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जर्मन संघीय गणराज्य पर लागू होंगे।

[फा. सं. टी-413/3/97]

डा. ए. के. अमरोही, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th May, 2004

Treaty between the Republic of India and the Federal Republic of Germany on Extradition

G.S.R. 346(E).— Whereas the Treaty between the Republic of India and the Federal Republic of Germany on Extradition was signed at Berlin, Federal Republic of Germany on 27th June, 2001; and the instruments of ratification exchanged at New Delhi on 28th April, 2004 and which treaty provides as follows:

The Republic of India and the Federal Republic of Germany, desiring to provide for more effective co-operation between the two States in the suppression of crime and, specifically, to facilitate extradition, have agreed as follows:

Article 1 Obligation to extradite

- (1) The Contracting States shall extradite to each other subject to the provisions

 Described in this Treaty any person found in the territory of one of the Contracting States
 who is wanted by a competent authority of the Requesting State for, or has been convicted
 of, an extraditable offence:
- (2) When the offence has been committed outside the territory of the Requesting State, the Requested State shall grant extradition subject to the provisions described in this Treaty if
 - a) its laws would provide for the punishment for such an offence committed in similar circumstances, or
 - b) the person whose extradition is requested is a national of the Requesting State.

Article 2

Extraditable Offences

- (1) Extraditable offences under this Treaty are offences which are punishable under the laws of both Contracting States. In this connection it shall not matter whether or not the laws of the Contracting States place the offence within the same category of offences or denominate an offence by the same terminology.
- (2) For offences in connection with taxes, fiscal charges and customs duties, extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Treaty only if the said offence corresponds to an offence of a similar nature under the law of the requested Contracting State.
- (3) Extradition shall be granted in respect of offences which, under the laws of both Contracting States, are punishable by a maximum term of imprisonment or other form of deprivation of liberty of at least one year. Where extradition is requested for the purpose of enforcing a term of imprisonment or another form of deprivation of liberty, the duration of the remainder of the prison sentence or other deprivation of liberty which is to be enforced must total at least six months.
- (4) Subject to the conditions set out in paragraph 1, extradition shall also be granted in respect of an attempt or conspiracy to commit, or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of, an extraditable offence.

(5) Where extradition is granted in respect of an extraditable offence, it shall also be granted in respect of any other extraditable offence which, taken alone, would not be extraditable in terms of paragraph 3.

Article 3

Political Offences

- (1) Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is regarded by the Requested State as a political offence, an offence of a political character, or as an offence connected with such an offence.
- (2) Extradition shall also not be granted if the Requested State has substantial grounds for believing that a request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his or her race, religion, nationality or political opinion, or that the position of the person sought may be prejudiced for any of these reasons.
- (3) For the purpose of this Treaty the following offences shall not be deemed to be offences within the meaning of paragraph 1:
 - a) an offence within the scope of the 1970 Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft:
 - b) an offence within the scope of the 1971 Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation;
 - c) an offence within the scope of the 1973 New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents;
 - d) an offence within the scope of the 1979 New York Convention against the Taking of Hostages;
 - e) any other offence in respect of which both Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought, or to submit his or her ease to their competent authorities for a decision as to prosecution;
 - f) murder, manslaughter or culpable homicide, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm;

- g) kidnapping, abduction, or any comparable form of unlawful detention, including the taking of hostages;
- h) placing or using an explosive, detonating device, destructive device, firearm or ammunition, capable of endangering life, or of causing grievous bodily harm, or of causing substantial property damage;
- i) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as a political offence;
- j) an attempt or conspiracy to commit, or aiding, abetting, inciting or participating in the commission of, any of the foregoing offences.

Article 4 Military Offences

Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is a military offence which is not an offence under ordinary criminal law.

Article 5 Grounds for Discretionary Refusal

Extradition may be refused if the Requested State considers that, having regard to all the circumstances, including the trivial nature of the offence, or in the interest of justice, it would be unjust or inexpedient to extradite the person.

Article 6 Extradition of Own Nationals

- (1) Neither of the Contracting States shall be bound to extradite its own nationals.
- (2) The Requested State shall take all legally permissible measures in order to suspend naturalisation proceedings in respect of the person sought until a decision has been taken concerning the request for his or her extradition and, where the extradition request is granted, until his or her surrender.

(3) If the Requested State does not extradite its own nationals, it shall, at the behest of the Requesting State, submit the case to its competent authorities so that criminal prosecution may be effected if considered appropriate. If the Requested State seeks additional files, papers and property, these shall be provided free of charge. The Requesting State shall be informed of the result of its request.

Article 7 Lapse of Time

Extradition shall not be granted if the criminal prosecution or the enforcement of the prison sentence or other form of deprivation of liberty has become statute-barred under the law of the Requesting State.

Article 8 Avoidance of Double Jeopardy

Extradition shall not be granted if the competent authorities of the Requested State have, with full and binding effect, previously tried and acquitted or convicted the person sought in relation to the criminal offence in respect of which extradition is requested, or if the criminal proceedings against him or her have been irreversibly discontinued by the competent authorities of the Requested State in accordance with its own law.

Article 9 Jurisdiction of the Requested State

Extradition may be refused if the person sought is proceeded against in the Requested State for the same offence in respect of which extradition is requested.

Article 10 Complaint and Authorisation

If a complaint by or on benalf of the victim of an offence or an authorisation to prosecute is required by the law of the Requested State, the absence of such a complaint or authorisation shall not affect the obligation to extradite.

Article 11 Capital Punishment

When the offence in respect of which extradition is requested is punishable by death under the laws of the Requesting State and the laws of the Requested State do not permit such punishment for that offence, extradition may be refused unless the Requesting State furnishes such assurances as the Requested State considers sufficient that the death penalty shall not be imposed, or, if imposed, shall not be enforced.

Article 12 Channel of Communication: Extradition Documents

- (1) A request for the extradition of a person sought shall be made in writing and shall be transmitted through diplomatic channels.
- (2) The request shall be accompanied by:
 - a) all available information concerning the identity and nationality of the person sought; and
 - b) a copy of the applicable statutory provisions, if any, creating the offence, or a statement of the applicable law, and in either case a statement of the punishment that can be imposed.

- (3) A request for the extradition of a person sought for the purpose of prosecution shall be accompanied, in addition to the documents provided for in paragraph 2, by the original or a certified copy of the arrest warrant issued in respect of the person sought, a description of each offence in respect of which the person is being sought and, where such information is not contained in the other documentation, a statement of the acts or omissions alleged against the person sought in respect of each such offence.
- (4) A request for the extradition of a person sought, lodged for the purpose of enforcing a sentence, shall be accompanied, in addition to the documents provided for in paragraph 2, by the original or a certified copy of the enforceable judgment, a summary statement of the facts of the case, where such information is not contained in the other documentation, such documents as provide proof of the final and binding conviction and a statement that the sentence is immediately enforceable and of the extent to which that sentence has not been enforced.
- (5) The accompanying documents listed in paragraphs 2 to 4 shall be signed by a judge or a competent official and authenticated by the official seal of the competent ministry.
- (6) If the extradition of a person sought to the Requesting State is not obviously precluded by the laws of the Requested State, and provided that the person sought consents for the record before a judge or a competent official to this extradition after personally being advised of his or her rights to formal extradition proceedings, the Requested State may grant his or her extradition without formal extradition proceedings having taken place.

Article 13 Additional Documentation

(1) If the Requested State considers that the documentation furnished in support of the request for the extradition of a person sought is not sufficient to fulfil the requirements of this Treaty, that State shall request the submission of necessary additional documentation; it may fix a time limit and upon the Requesting State's application, for which reasons shall be given, may grant a reasonable extension of the time limit.

(2) If the person sought is being held in custody and the additional documentation or information submitted as aforesaid is not sufficient, or if it is not received within the period specified by the Requested State, the person sought shall be released from custody. However, such release shall not bar a subsequent request in respect of the same offence. In this connection, it shall be sufficient for reference to be made in the subsequent request to supporting documents which have already been submitted, provided that these documents will be available in the extradition proceedings carried out on the basis of this subsequent request.

Article 14 Provisional Detention While Awaiting Extradition

- (1) In urgent cases, either Contracting State may apply for the provisional arrest of the person sought until the request for extradition has been submitted to the Requested State through diplomatic channels. The request for provisional arrest may be made either through diplomatic channels or directly between the Federal Ministry of Justice of the Federal Republic of Germany and the Ministry of External Affairs of the Republic of India, or through the German and the Indian national Central Bureau of the International Criminal Police Organisation.
- (2) The request for provisional arrest shall state that a warrant of arrest or a judgment as mentioned in Article 12 exists, and that it is intended to make a request for extradition. It shall also state the offences in respect of which extradition will be requested, and when and where such offences were committed, as well as providing all available information concerning the description and nationality of the person sought.
- (3) On receipt of a request for provisional arrest, the Requested State shall take the necessary steps to secure the arrest of the person sought. The Requesting State shall be informed without delay of the extent to which its request has been complied with.
- (4) Provisional detention shall be terminated if, within a period of 60 days after the apprehension of the person sought, the Requested State has not received the request for extradition and the documents specified in Article 12.
- (5) The termination of the provisional detention pursuant to paragraph 4 shall not prejudice the rearrest and the extradition of the person sought if the request for extradition and the

supporting documents specified in Article 12, insofar as they were not submitted in a timely manner, are received at a later date. Reference may be made to the request for extradition and the documents which have already been transmitted to the Requested State.

Article 15

Requests for Extradition Made by Several States

- (1) A Contracting State which has received concurrent requests for extradition of the same person, either in respect of the same offence or of different offences, from the other Contracting State and from a third State, shall make its decision having regard to all the circumstances, including the relative seriousness and the places of commission of the offence, the nationality of the person sought and the provisions of any extradition agreements between the Requested State and the Requesting States as well as, in particular, the possibility of
- (2) If the Requested State reaches a decision, at the same time, on extradition to one of the Requesting States and on re-extradition to another Requesting State, it shall communicate that decision on re-extradition to each of the Requesting States.

subsequent re-extradition to another Requesting State.

shall notify the Requesting State.

Article 16

Decision

- (1) The Requested State shall promptly communicate to the Requesting State its decision on the request for extradition.
- (3) The Requested State shall, as far as possible, give reasons for any complete or partial refusal of the request for extradition.

Article 17

Deferred Surrender

The Requested State may, after a decision on the request has been rendered by a competent court, defer the decision on the surrender of the person sought if that person is being proceeded against, or is serving a sentence or a measure of correction and security in the Requested State in respect of a different offence from the one for which extradition was requested, until the conclusion of the proceedings and the full execution of any punishment which may be, or may have been, imposed on him or her. In this case the Requested State

Article 18

Surrender of the Person Sought

- (1) If the extradition has been granted, surrender of the person sought shall take place within such time as may be provided for by the laws of the Requested State. If no time period for surrender is provided for by the laws of the Requested State, surrender shall take place within 30 days from the date on which the Requesting State has been notified that the extradition has been granted. The time period may be extended by 20 days at the request of the Requesting State. The competent authorities of the Contracting States shall agree on the time and place of the surrender of the person sought.
- (2) If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within the time required under paragraph 1, he may be released. The Requested State may subsequently refuse to extradite the person sought for the same offence.
- (3) If exceptional circumstances prevent a Contracting State from surrendering or taking delivery of the person sought in good time, it shall notify the other Contracting State accordingly prior to the expiration of the time limit. In such a case, the competent authorities of the Contracting States may agree upon a new date for the surrender.
- (4) The Requested State shall inform the Requesting State as to how long the person sought has been detained awaiting extradition and of the date of his apprehension.

Article 19

Rule of Speciality

- (1) Without prejudice to paragraph 3 below, a person extradited under this Treaty shall not:
 - 1. in the Requesting State be detained or tried, or be subjected to any other restriction of his personal liberty for any offence committed before his extradition, other than in respect of:
 - a) an offence in respect of which he was extradited, or another offence in respect of which he could be convicted based on the proven facts used to support the request for his extradition; or

- b) another extraditable offence in respect of which the Requested State has consented to his or her being so detained or tried, or subjected to any other restriction of his or her personal liberty; or
- 2. be detained in the Requesting State for the purpose of his or her extradition to a third State, or be re-extradited to such a State, unless the Requested State consents to this.
- (2) A request for the consent of the Requested State under this Article shall be accompanied by all the relevant documents specified in Article 12 and by a court record of statements made by the person extradited. Paragraph 1 of Article 13 shall apply mutatis mutandis.
- (3) Paragraph 1 shall not apply if the person extradited, although having had an opportunity to leave the territory of the Requesting State, has not done so within 45 days of his or her final release, or has returned to that territory after leaving it. Release on parole or probation without an order restricting the freedom of movement of the extradited person shall be deemed equivalent to final release.

Article 20

Notification of the Outcome of the Criminal Proceedings

The Requesting State shall notify the Requested State, upon demand by the latter, of the outcome of the criminal proceedings being conducted in respect of the extradited person and shall send a copy of the final and binding decision to the Requested State.

Article 21

Surrender of Property

(1) To the extent permitted under the laws of the Requested State, all articles which may serve as evidence, or which have been acquired as a result of an offence, or which have been obtained as consideration for such articles, and which at the time of arrest are found in the possession of the person sought or are discovered subsequently, shall be surrendered if extradition is granted. Surrender of such articles shall be possible even without any special request and, if possible, at the same time that the person sought is surrendered.

- (2) Subject to the conditions specified in paragraph 1, the articles mentioned therein shall be surrendered even if the person sought cannot be surrendered owing to his or her death or escape.
- (3) Insofar as rights of the Requested State or of third parties to the articles are to be respected, the Requested State may refuse surrender or make surrender conditional upon a satisfactory assurance from the Requesting State that the articles will be returned to the Requested State as soon as possible.

Article 22 Mutual Legal Assistance in Connection with Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence in respect of which extradition has been requested.

Article 23

Transit

- (1) Transit of a person who is the subject of extradition from a third State through the territory of a Contracting State to the territory of the other Contracting State shall be granted upon submission of a request, provided that the offence concerned is an extraditable offence under Article 2, and that the Contracting State requested to grant transit does not consider the offence to be one covered by Article 3 or 4.
- (2) Transit of a national of the Requested State may be refused if, in the opinion of that State, it is inadmissible under its law.
- (3) The request for transit must be accompanied by the documents mentioned in Article 12.
- (4) Article 11 shall apply mutatis mutandis.

Article 24

Personal Data

- (1) Personal data, hereinafter referred to as "data", shall be understood to be particulars on the personal or factual situation of an identified or identifiable natural person.
- (2) Data transmitted on the basis of this Treaty shall only be used for the purposes for which the data were transmitted and on the conditions determined by the transmitting Contracting State in each individual case. In addition such data may be used for the following purposes:
 - a) for the prosecution of offences,
 - b) for the prevention of offences of considerable importance,
 - c) for non criminal court proceedings and administrative proceedings which are trivial to the use for which the data were transmitted pursuant to the first sentence or related to the use outlined in sub-paragraphs a) and b).
 - d) to ward off a substantial danger to public security.
- Use of the data for other purposes shall require the prior consent of the Contracting State transmitting the data concerned.
- (3) Subject to the domestic legal provisions of each Contracting State, the following provisions shall apply to the transmission and use of data:
 - a) Upon request, the Contracting State which has received the data shall inform the transmitting State of the data received, of the use made of the data and of the results achieved therefrom.

- b) The Contracting States shall carefully handle data transmitted under this Treaty and pay particular attention to the accuracy and completeness of such data. Only data that relate to the request shall be transmitted. If it appears that incorrect data have been transmitted or that data that should not have been transmitted were transmitted, the Contracting State that has received the data shall be notified without delay. The Contracting State that has received the data shall rectify or correct any errors or erase the data.
- c) The Contracting States shall keep records in an appropriate form concerning the transmission and receipt of data.
- d) The Contracting States shall afford effective protection of the data transmitted against unauthorised access, unauthorised alteration and unauthorised publication.
- e) Upon request, the person concerned shall be informed about existing data relating to him as well as about the purpose for which they are to be used and the purpose of their storage. There shall be no obligation to give information where, on a weighing of interests, the public interest in not giving information is found to outweigh the interest of the person concerned in being informed. In all other respects the right of the person concerned to be informed of existing data relating to him shall be governed by the domestic law of the Contracting State in whose territory the information is requested.
- f) If as a result of transmissions in the context of data exchange under this Treaty a person suffers unlawful damage, the receiving State shall be liable to him therefor according to its domestic law. The receiving State cannot, vis-à-vis the aggrieved person, invoke the fact that the damage was caused by the transmitting State as a defence. If the receiving State pays compensation for damage that was caused by using incorrect data received from the transmitting State, the transmitting State shall reimburse the receiving State in respect of such compensation in accordance with the relevant provisions of its domestic law.

Article 25 Applicable Law

Except where this Treaty provides otherwise, the law of the Requested State shall be applicable to proceedings relating to provisional detention while awaiting extradition, to extradition and to transit.

Article 26 Language to be Used

The documents transmitted in application of this Treaty shall be in the language of the Requesting State. German requests shall be accompanied by a translation into English, Indian requests by a translation into German.

Article 27 Expenses

Expenses arising from the transportation of a person sought to the Requesting State shall be borne by that State. Other expenses arising from an extradition or a transit request shall not be claimed by the Requested State from the Requesting State. The competent legal officials of the State in which the extradition proceedings take place shall, by all legal means within their power, assist the Requesting State before the competent judges and officials.

Article 28 Scope of Application

This Treaty shall apply to offences encompassed by Article 2 committed before as well as after the date on which this Treaty enters into force. Extradition shall not be granted, however, in respect of an offence committed before this Treaty enters into force which was not an offence under the laws of both Contracting States at the time of its commission.

Article 29 Registration

Registration of this Treaty with the Secretariat of the United Nations, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, shall be initiated by the Federal Republic of Germany immediately following its entry into force. The other Contracting State shall be informed of registration, and of the UN registration number, as soon as this has been confirmed by the Secretariat of the United Nations.

Article 30 Ratification; Entry into Force; Denunciation

- (1) This Treaty shall be subject to ratification; the instruments of ratification shall be exchanged in New Delhi as soon as possible.
- (2) This Treaty shall enter into force 30 days after the exchange of the instruments of ratification.
- (3) This Treaty shall continue in force until the expiration of one year from the date on which written notice is given by one Contracting State. The date of receipt of such notice by the other Contracting State shall be definitive for determining the deadline.

Done at Berlin on the 27th June, 2001 in duplicate in the Hindi, German and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretation of the Hindi and the German texts, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to the Federal Republic of Germany with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No.T-413/3/97] Dr. A.K. AMROHI, Jt. Secy. (CPV)